जनशक्ति नियोजन प्रभाग

जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ की गयी थी। इसका कार्य ऐसे अध्ययनों को करना है, जिनसे प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्मिकों की उपलब्धता समय से एवं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित हो सके तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकें। साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने तथा उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यों में अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर मानव संसाधन विकास में योगदान प्रदान करना है।

मुख्य उद्देश्य:-

जनशक्ति नियोजन प्रभाग के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

1-महत्वपूर्ण श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों का स्टॉक तथा मॉग एवं पूर्ति का आंकलन।

2-विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश की जनशक्ति का ऑकलन, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन।

3-विकास कार्यक्रमों का रोजगार के दृष्टिकोण से विश्लेषण तथा रोजगारपरक योजनाओं का लाभार्थियों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव।

4-प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाओं की उपयुक्तता तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग।

संगठनात्मक ढॉचा:-

इस प्रभाग के कार्यों का सम्पादन निदेशक (तकनीकी) के मार्ग निर्देशन में किया जाता है। उनकी सहायतार्थ संयुक्त निदेशक के दो, वरिष्ठ शोध अधिकारी के तीन तथा शोध अधिकारी के छः, अपर सांख्यिकीय अधिकारी के 10 राजपत्रित पद तथा सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के दो अराजपत्रित (तकनीकी) पद सृजित हैं। उक्त के अतिरिक्त अनुसचिवीय संवर्ग के आठ तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल तीन पद सृजित हैं।

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान			कुल स्वीकृत पद (संख्या)	कुल भरे पद	भरे पद (संख्या में)				
		वेतन-बैण्ड (रू0 में)	ग्रेड-वेतन (रू0 में)	लेवल			अनारक्षित	अनु0जा0/ अनु0 ज0 जा0	अन्य पिछडा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0 एस0)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राजपत्रित										
1	निदेशक	37400-67000	8700	13	1	1	-	1	-	-	1
2	संयुक्त निदेशक	15600-39100	7600	12	2	1	-	-	1	-	1
3	वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक)	15600-39100	6600	11	3	2	1	1	-	-	2
4	शोध अधिकारी (प्राविधिक/ अभियंत्रण)	15600-39100	5400	10	6	4	1	3	-	-	4
5	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4600	7	10	-	-	-	-	-	-
	योग				22	8	2	5	1	-	8
	ब-अराजपत्रित										
6	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4200	6	2	3	3	-	-	-	3
7	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	6	1	1	-	1	-	-	1
8	आशुलिपिक	5200-20200	2800	5	3	1	1	-	-	-	1

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान			कुल स्वीकृत पद (संख्या)	कुल भरे पद	भरे पद (संख्या में)				
		वेतन-बैण्ड (रू0 में)	ग्रेड-वेतन (रू0 में)	लेवल			अनारक्षित	अनु0जा0/ अनु0 ज0 जा0	अन्य पिछडा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0 एस0)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	5	1	1	1	-	-	-	1
10	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	3	2	1	-	1	-	-	1
11	मानचित्रकार (प्रारूपकार)	5200-20200	2800	5	-	1	1	-	-	-	1
12	चपरासी	5200-20200	1800	1	3	1	-	1	-	-	1
13	चालक	5200-20200	1900	2	1	1	-	-	1	-	1
	योग				13	10	6	3	1	-	10
	कुल योग				35	18	8	8	2	-	18

निदेशक

↓

संयुक्त निदेशक

↓

वरिष्ठ शोध अधिकारी

↓

शोध अधिकारी

↓

अपर सांख्यिकीय अधिकारी

↓

सहायक सांख्यिकीय अधिकारी

↓

तृतीय श्रेणी

↓

चतुर्थ श्रेणी

जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्य:-

A. डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) से सम्बन्धित कार्य (सम्बन्धित शासनादेश):

1. केन्द्र पोषित विकास योजनायें यथा मनरेगा, पेंशन योजनायें (वृद्धावस्था/नि:शक्तजन/निराश्रित महिला), दशमोत्तर छात्रवृतियाँ- एस०सी०/एस०टी०/अल्पसंख्यक, पी०डी०एस० राशनकार्ड धारक, एल०पी०जी० उपभोक्ता (सब्सिडी कनेक्शन), प्रधानमंत्री जन-धन योजना तथा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई०पी०एफ०ओ०) है, जिसकी प्रगति समीक्षा पाक्षिक रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है।

2. दिनांक 31-08-2023 तक उपरोक्त केन्द्र पोषित योजनाओं के वर्तमान कुल 118,63,23,555 लाभार्थियों के सापेक्ष 98.61 प्रतिशत लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन तथा 17,16,43,945 (92.128) लाभार्थियों का आधार कार्ड संख्या लिंकेज हो चुका है।

3. प्रदेश की योजनाओं में डी०बी०टी० के माध्यम से ट्रान्सेक्शन के कारण काफी बचत हो रही है। 11 विभागों यथा खाय एवं रसद, महिला कल्याण, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मत्स्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, श्रम, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, बेसिक शिक्षा, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा नगर विकास विभाग द्वारा कुल रु रु 9999.89 करोड़ (लगभग रु. 10,000 करोड़) बचतों की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

4. डी०बी०टी० भारत पोर्टल (https://dbtbharat.gov.in) के अनुरूप उ0प्र0 डी०बी०टी० पोर्टल (http://dbtup.upsdc.gov.in) का निर्माण एवं उ0प्र0 डी०बी०टी० पोर्टल को डी०बी०टी० भारत पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जा चुका है।

5. उ०प्र० डी०बी०टी० पोर्टल पर 30 विभागों की 170 (90 केन्द्रपोषित एवं 80 राज्यपोषित) डी०वी०टी० योजनायें चिन्हित तथा उक्त 170 डी०बी०टी० योजनाओं के स्कीम कोड भी जनरेट हो चुके हैं।

6. उ0प्र0 डी०बी०टी० पोर्टल पर प्रगति अपडेट करने हेतु विभागों को यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड जनरेट किये जा चुके हैं।

B- आधार परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्य (सम्बन्धित शासनादेश):

1. प्रदेश की वर्ष 2023 की अनुमानित कुल जनसंख्या 23.57 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 30-06-2023 तक 97 प्रतिशत (22.94 करोड़) आधार जेनरेशन हो चुका है, जिसके अन्तर्गत 0-5 वर्ष आयुवर्ग में आधार जनरेशन 23 प्रतिशत, 5-18 वर्ष आयुवर्ग में 96 प्रतिशत तथा 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में शत-प्रतिशत आधार जनरेशन हो चुका है।

2. दिनांक 05-09-2023 तक प्रदेश में आधार नामांकन हेतु कुल 12,571 बायोमेट्रिक नामांकन किट्स क्रियाशील हैं, जिनमें से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 2,628 किट्स, सी०एस०सी० ई-गवर्नेंस में 5,188 किट्स, बैंको में 1,358 किट्स, डाकघरों में 992 किट्स, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 1,013 किट्स, बी०एस०एन०एल० में 235 किट्स, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 5 किट्स, यू0आई0डी0ए0आई0 आधार सेवा केंद्र में 134 किट्स, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 125 किट, नवोदय विद्यालय समिति में 01 किट, श्रीट्रान इण्डिया लि0 द्वारा 888 किट्स, UTIITSL द्वारा 03 किट्स तथा नार्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा 01 किट क्रियाशील हैं।

C. फैमली आई0डी0-एक परिवार एक पहचान योजना का कार्य (सम्बन्धित शासनादेश):-

1. प्रदेश में अध्यासित संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजनाओं का आच्छादन बढाते हुये शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और जनसामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण करने के उद्देश्य से फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अध्यासित समस्त परिवारों की फैमिली आई0डी0 सृजित की जा रही है।

2. प्रदेश में राशन कार्ड से आच्छादित लगभग 3.57 करोड़ परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आई0डी0 है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड से आच्छादित न होने वाले परिवारों द्वारा फैमिली आई0डी0 पोर्टल (https://familyid.up.gov.in/portal/index.html) के माध्यम से आवेदन कर फैमिली आई0डी0 प्राप्त की जा सकती है। फैमिली आई0डी0 पोर्टल पर फैमिली आई0डी0 हेतु अभी तक प्राप्त कुल 1,18,194 आवेदनों के सापेक्ष 48,089 परिवारों की फैमिली आई0डी0 जनरेट की जा चुकी है।

D. एन०जी०ओ० प्रकोष्ठ से सम्बन्धित कार्य (सम्बन्धित शासनादेश):

1. उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2015-16 में "स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सहभागिता के लिये प्रोसीजर्स तय किया जाना" को सम्मिलित किया गया। प्रोसीजर्स में स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु अर्हतायें (सामान्य अर्हतायें एवं विशिष्ट अर्हतायें), विशिष्ट अर्हताओं हेतु समिति के गठन एवं मापदण्ड, स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्य का अनुभव, स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया, एम0ओ0यू0 भुगतान की प्रक्रिया, अनुश्रवण प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, स्वयं सेवी संस्थाओं की क्षमतावृद्धि, सक्सेस स्टोरीज का प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन, ब्लैक लिस्टिंग प्रक्रिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के डाटाबेस से सम्बन्धित बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।

2. प्रोसीजर्स को मा0 मंत्रिपरिषद अनुमोदनोपरान्त प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा प्रोसीजर्स के सम्बन्ध में एन0जी0ओ0 वेबसाइट/वेबपोर्टल हेतु शासनादेश संख्या: 22/2016/601/35-1- 2016-2/1(12)/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2016 को जारी कर दिया गया। इस शासनादेश के अनुरूप एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ के कार्यों हेतु शासनादेश संख्या: 21/2016/600/35-1-2016-2/1 (12)/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2016 जारी किया गया है।

3. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक राज्य सलाहकार समिति का गठन भी किया गया है जिसके कृषि उत्पादन आयुक्त प्रमुख सचिव, नियोजन, प्रमुख सचिव, वित्त एवं निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग सदस्य सचिव स्थायी सदस्य के रूप में नामित किये गये हैं।

4. एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ के मुख्य कार्यों के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के डाटाबेस हेतु वेबपोर्टल तैयार किया जाना है जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को ऑन-लाइन सूचीबद्ध करना, प्रत्येक सूचीबद्ध संस्थाओं को विशिष्ट पहचान (यूनीक आई0डी0) प्रदान करना, विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों में भागीदार संस्थाओं का ऑन-लाइन डाटाबेस एवं घोषित ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं की सूची प्रदर्शित करने के लिये एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ की वेबसाइट तैयार करना है।

E. विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल/मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्था (कन्सल्टेंसी फर्म्स) का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य (सम्बन्धित शासनादेश):

1. नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रोसीजर एण्ड गाइडलाइन्स फार इन्गेजमेन्ट ऑफ कन्सल्टेन्ट्स सीनियर कन्सल्टेन्ट्स इन नीति आयोग, F.No. A-12013.02/2015 Adm.1 (B) dt. 11th Nov, 2016 के नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। यह दिशा-निर्देश भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुभव प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करते हैं तथा उच्च शिक्षित विशेषज्ञ व्यक्तियों को अपनी आवश्यकतानुसार, जो इकोनॉमिक्स, फाइनेन्स, एजूकेशन, पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग अर्बन प्लानिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में उच्च गुणवत्ता का व्यावसायिक इनपुट दे सकें की कन्सल्टेन्ट, सीनियर कन्सल्टेन्ट के रूप में अल्प अवधि परामर्शी के रूप में सेवायें प्राप्त की जाती है।

2. उक्त व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये तीन श्रेणियों के कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबंध के आधार पर सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट किये जाने सम्बन्धी मानक दिशा निर्देश (गाइड लाइन) पर मा० मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2018 को अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वित करने हेतु शासनादेश संख्या: 26/2018/632/35-1-2018-6/9(2)/2018 दिनांक: 25 सितम्बर, 2018 को जारी किया गया।

3. इस कार्य हेतु चार कार्यदायी संस्थाओं यथा- 1- Ernst & Young LLP (अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी), 2- KPMG Advisory Services Private Limited (केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेस प्रा०लि०, 3- Pricewaterhouse Coopers Private Limited (प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स प्रा०लि०) तथा 4- Wipro Limited (विप्रो लि०) का चयन किया गया।

F. प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य (सम्बन्धित शासनादेश):

प्रदेश के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भर्ती करने हेतु शासनादेश जारी किये गये।

1. प्रदेश में विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरियों हेतु ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के लिये सेवा प्रदायी 07 संस्थाओं (HR Agencies) यथा Eduquity Career Technologies Private Limited, Merittrac Services Private Limited, NSEIT Limited, Nysa Communications Pvt. Limited, Sify Technologies Limited, Tata Consultancy Services Limited तथा US Technology international Private Limited एवं ऑफलाइन भर्ती परीक्षाओं हेतु 04 संस्थाओं यथा- Nysa Communications Pvt. Limited, Tata Consultancy Services Limited, Merittrac Services Private Limited a N.C. Print Private Limited का पैनल तैयार कर शासनादेश संख्या: 20/2018/497/35-1-2018-7-295/ज0नि0प्र0/2017 दिनांक 22 जून 2018 एवं 23/2018/603/35-1-2018-7-295/ज0नि0प्र0/2017 दिनांक 28 अगस्त, 2018 जारी किया गया है।

2. दिनांक 26.03.2021 को मा0 मुख्यनमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नियोजन विभाग द्वारा जारी उक्त दोनों शासनादेशों में उल्लिखित संस्थाओं के अतिरिक्त सरकारी विभागों/चयन आयोगों/सरकारी संस्थायें अपने स्तर से भी खुली एवं पारदर्शी ई-निविदा प्रक्रिया से नियमानुसार किसी परीक्षा आयोजन सम्बन्धी गतिविधियों/कार्यकलापों हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं कार्यदायी संस्थाओं को इम्पैनल/सूचीबद्ध कर सकते हैं। उक्त दोनों शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे, का नवीनतम शासनादेश संख्याः

10/2021/285/35-1-2021-7-295/ज.नि.प्र./2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2021 नियोजन विभाग द्वारा जारी कर प्रदेश के समस्त विभागों/चयन आयोग/सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध करा दिया गया है।

G. सरप्लस स्टाफ पूल सम्बन्धी कार्य/प्रदेश के विभिन्न विभागों के अनुपयोगी स्टाफ को अन्य विभागों में समायोजित किये जाने सम्बन्धी कार्य (सम्बन्धित शासनादेश):-

प्रदेश के विभिन्न विभागों में सरप्लस स्टाफ को चिन्हित करने के लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है तथा नियोजन विभाग को समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया गया है। नियोजन अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन को समिति के प्रशासकीय कार्यों हेतु एवं जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० को समिति के तकनीकी कार्यों हेतु क्रमशः नोडल अनुभाग/प्रभाग नामित किया जाता है। इस कार्य हेतु कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या: 20/1/91-का-2/2008 दिनांक: 22 सितम्बर, 2008, शासनादेश संख्या: 20/1/91-का-2/2008 दिनांक: 10 अक्टूबर, 2008, शासनादेश संख्या: 20/1/91-का-2/2008 दिनांक: 20 अक्टूबर, 2008, नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश संख्या: 2011/35-1-2008-2/1(38)/2008 दिनांक 07 नवम्बर, 2008, कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या: 20/1/91-का-2/2008 दिनांक: 09 जून, 2009, शासनादेश संख्या: 20/1/91-का-2/2012 दिनांक: 15 मार्च, 2012 तथा वित्त विभाग द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: आर0जी0-737/दस-2013-27/2013 वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग दिनांक: 30 जुलाई, 2014 को जारी किया गया।

H. राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य-विवरण:

कार्य-विवरण के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभागों यथा- अर्थ एवं संख्या प्रभाग, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, मूल्यांकन प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग तथा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की स्थापना, उद्देश्य, संगठनात्मक ढांचा तथा प्रभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण दिया जाता है।

I. अधिकारियों के मध्य आवन्टित कार्य:-

अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
श्री घनश्याम यादव, संयुक्त निदेशक	महानिदेशक कार्यालय से सम्बद्ध
डा0 मनोज कुमार, वरिष्ठ शोध अधिकारी	1. आधार परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 3. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना से सम्बन्धित कार्य। 4. प्रदेश में विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरियों हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित कराने हेतु एच0आर0 एजेन्सीज का इम्पैनलमेन्ट एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य। 5. प्रभागीय प्रशासनिक कार्य। 6. जेम पोर्टल, स्टोर एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य। 7. ई-ऑफिस से सम्बन्धित कार्य। 8. विविध कार्य ।

श्री प्रभा शंकर ओझा, वरिष्ठ शोध अधिकारी/ राज्य सलाहकार (एफ0पी0ओ0 सेल), कृषि विभाग से सम्बद्ध	1. प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिये कंसल्टेंट की अनुबन्ध के आधार पर सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट एवं सम्बन्धित विभागों को तद्नुसार परामर्श प्रदान करना तथा इससे सम्बन्धित कार्य। 2. एन0जी0ओ0 सेल से सम्बन्धित कार्य। 3. इण्डिया कोड पोर्टल से सम्बन्धित कार्य।
श्री आशीष कुमार, शोध अधिकारी (अभियन्त्रण)	1. आधार परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 3. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना से सम्बन्धित कार्य। 4. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना बजट सम्बन्धी कार्य। 5. एस0डी0जी0 से सम्बन्धित कार्य। 6. डी0बी0टी0 की पाक्षिक प्रगति। 7. प्रगति एवं ई-समीक्षा पोर्टल पर ए0टी0आर0 से सम्बन्धित कार्य। 8. नीति आयोग के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कार्य।
श्री अभिषेक त्रिपाठी, शोध अधिकारी (अभियन्त्रण)	1. आधार परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 3. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना से सम्बन्धित कार्य। 4. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना बजट सम्बन्धी कार्य। 5. एस0डी0जी0 से सम्बन्धित कार्य। 6. डी0बी0टी0 की पाक्षिक प्रगति। 7. प्रगति एवं ई-समीक्षा पोर्टल पर ए0टी0आर0 से सम्बन्धित कार्य।
श्री सुदेश कुमार, शोध अधिकारी	1. अनुपयोगी/सरप्लस स्टॉफ पूल से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. राज्य नियोजन संस्थान का कार्य विवरण। 3. जन सूचना के अधिकार से सम्बन्धित कार्य। 4. प्रभागीय लाईब्रेरी के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य।
श्री पुष्पेन्द्र कुमार, शोध अधिकारी/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1. महानिदेशक, राज्य नियोजन संस्थान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य/दायित्व। 2. प्रदेश में विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरियों हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित कराने हेतु एच0आर0 एजेन्सीज का इम्पैनलमेन्ट एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य। 3. प्रभागीय प्रशासनिक कार्य। 4. विविध कार्य 5. ई-ऑफिस से सम्बन्धित कार्य। 6. जेम पोर्टल, स्टोर एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य।
श्री योगेन्द्र पाल भारद्वाज, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1. आधार परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 3. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना से सम्बन्धित कार्य। 4. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना बजट सम्बन्धी कार्य। 5. एस0डी0जी0 से सम्बन्धित कार्य। 6. डी0बी0टी0 की पाक्षिक प्रगति। 7. प्रगति एवं ई-समीक्षा पोर्टल पर ए0टी0आर0 से सम्बन्धित कार्य।

	8. नीति आयोग के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कार्य।
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1. आधार परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य। 3. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना से सम्बन्धित कार्य। 4. फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना बजट सम्बन्धी कार्य। 5. एस0डी0जी0 से सम्बन्धित कार्य। 6. डी0बी0टी0 की पाक्षिक प्रगति। 7. प्रगति एवं ई-समीक्षा पोर्टल पर ए0टी0आर0 से सम्बन्धित कार्य। 8. नीति आयोग के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कार्य।
श्री रवि कान्त सिंह, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1. प्रदेश में विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरियों हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित कराने हेतु एच0आर0 एजेन्सीज का इम्पैनलमेन्ट एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. प्रभागीय प्रशासनिक कार्य। 3. विविध कार्य 4. ई-ऑफिस से सम्बन्धित कार्य। 5. जेम पोर्टल, स्टोर एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य।